कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

प्रेस कांफ्रेंस दिनांक – 03/06/2024

1. लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु समस्त 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना कल दिनांक 04–06–2024 प्रातः 8.00 बजे से प्रांरभ होगी ।

2. सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 33 जिला मुख्यालयों में होगी एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक पृथक हॉल में की जावेगी।

3. राज्य में मतगणना हेतु 94 मतगणना हॉल नियत किये गये हैं जिनमें वि.स. क्षेत्र रामानुजगंज, सामरी, कोण्डागांव एवं केशकाल में दो–दो को छोड़कर शेष सभी 86 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना एक–एक हॉल में की जावेगी।

4. मतगणना स्थलों का संम्पूर्ण पता, दिनांक, समय और मतगणना प्रक्रिया की पूर्व सूचना सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 को राज्य के सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

6. 11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना हेतु 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी 4362 गणनाकर्मी एवं 1671 माईक्रो–ऑब्जर्वर नियुक्त किये गये है ।

7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 11 लोकसभा क्षेत्रों की 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 42 काउटिंग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए है ।

8. प्रत्येक गणना मेज पर मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं प्रेक्षक के प्रतिनिधि के रूप में एक माईक्रो–ऑब्जर्वर होगा, जो केन्द्र सरकार के उपक्रम का अधिकारी होगा।

9. प्रत्येक हॉल में लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्र की EVM मतगणना हेतु 6 विधानसभाओं पंडरिया, कवर्धा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर–सोनहत एवं कसडोल में 21 मेजों एवं अन्य सभी 84 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 मेजों में गणना की जावेगी।

10. 11 लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जावेगी, और इसके प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्रों में EVM की गणना प्रारंभ की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिले से भिन्न स्थित 22 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के EVM की गणना प्रातः 8.00 बजे ही प्रांरभ हो जावेगी ।

11. डाक मतपत्रों की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय जिलों पर ही की जावेगी। डाक मतपत्रों की गणना हेतु पृथक हॉल (कांकेर एवं महासमुंद में दो–दो हॉल तथा शेष अन्य 9 लो.स. निर्वाचन क्षेत्रों में एक–एक हॉल) निर्धारित किया गया है एवं अधिकतम 500 डाक मतपत्र के लिये एक गणना मेज की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त ETPBS के प्री–काउंटिंग के लिये आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मियों, स्कैनर, एवं कम्प्यूटर्स की व्यवस्था की गयी है।

12. प्रत्येक मतगणना हॉल में अभ्यर्थियों/गणना एजेन्टों के लिए पृथक प्रवेश द्वार होगें तथा रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं गणना में लगे अन्य कर्मचारियों के लिए भी पृथक प्रवेश द्वार होगें ।

13. सभी अभ्यर्थियों, गणना एजेंटों एवं उनके निर्वाचन एजेंटों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये है। सभी से अपेक्षित है कि वे अपने परिचय पत्र के साथ मतगणना हॉल में प्रातः 7.00 बजे तक प्रवेश कर लेवें, ताकि उन्हें असुविधा न हो ।

14. मतगणना केन्द्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहॉ प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जॉच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा ।

15. मतगणना केन्द्रों के पहले और बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी, जहॉ से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र (Pedestrian Zone) होगा । मतगणना परिसर में प्रवेश के लिए 01 प्रवेश द्वार की विधिवत बैरिकेडिंग की जाएगी । किसी भी वाहन को पैदल यात्री क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी । प्रथम स्तर में प्रवेशकर्ताओं की पहचान की जॉच करने के लिए 01 वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त स्थानीय पुलिस बल की व्यवस्था होगी ।

16. दूसरे स्तर में राज्य सशस्त्र बल की तैनाती की जावेगी। प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पहचान पत्र के आधार पर जॉच व तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

17. तीसरे स्तर में मतगणना हॉल के दरवाजे में केन्द्रीय पुलिस बल (CAPF) मौजूद रहेगा। इस स्तर पर भी सभी की तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी मोबाईल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ प्रवेश न करें ।

18. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया सेण्टर स्थापित किया जाएगा, जहॉ एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो समय–समय पर मतगणना हॉलों का अवलोकन करने के लिए एक निश्चित सीमा तक छोटी–छोटी संख्या में मीडिया समूहों को अन्दर ले जायेगें ।

19. मतगणना हॉल में मीडिया कर्मियों को किसी स्थैतिक कैमरा से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं होगी। केवल हैण्डहेल्ड कैमरे से मतदान की गोपनीयता को बनाये रखते हुए मीडिया कर्मी मतगणना कार्य का कवरेज कर सकेंगे।

20. वह स्थान जहॉ तक मतगणना हॉल में मीडिया को प्रवेश की अनुमति होगी, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चिन्हांकित किया जावेगा और सभी संबंधितों को अवगत कराया जाएगा ।

21. मतगणना हॉल में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है –

    1) रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी
    2) मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर
    3) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं आब्जर्वर
    4) निर्वाचन के संबंध में डयुटी पर तैनात लोक सेवक
    5) अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणना अभिकर्ता

22. आयोग के नवीनतम अनुदेशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री, राज्यमंत्री तथा उपमंत्री, नगर निगम के मेयर, नगर पंचायत/नगर पालिका के अध्यक्ष, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष, एवं अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुमति नही होगी ।

23. आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना केन्द्रों पर अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था का क्रम निम्नानुसार होगा –

1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

2) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

3) अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।

4) पंजीकृत–अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

5) निर्दलीय अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता।

24. किसी भी गणना अभिकर्ता को हॉल में अपने मेज से अन्य मेज पर जाने की अनुमति नही होगी ।

25. मतगणना एवं सारणीकरण की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जावेगी ।

26. मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा, स्मार्टवॉच, लेपटाप, गुटखा, सिगरेट के साथ प्रवेश करने की अनुमति नही होगी ।

27. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में सारणीकरण के लिये तैनात गणना अभिकर्ता को कैलक्युलेटर, पेन भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी /सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

28. अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता मात्र कागज और पेंसिल लेकर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।

29. गणना अभिकर्ता प्रारूप 17C के भाग एक (अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता को मतदान दिवस के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये प्रारूप) लेकर आ सकेंगे ।

30. स्ट्रांग रूम को निर्धारित समय पर प्रेक्षक, RO/ARO, अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा । उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की जावेगी।

31. मतदान की गोपनीयता बनाये रखने संबंधी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों को रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया जायेगा ।

32. मतगणना हॉल में मतगणना के दौरान अनुशासन एवं गरिमा बनाई रखी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर किसी को भी, जो उनके दिशा–निर्देशों का उल्लघंन करता है, उसे मतगणना हॉल से बाहर भेज सकता है ।

33. मतगणना हॉल में किसी भी सुरक्षाकर्मी को रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी ।

34. मतगणना पर्यवेक्षक EVM के कन्ट्रोल यूनिट पर परिणाम वाले बटन को दबाने के समय सभी अभ्यर्थियों/गणना अभिकर्ता को कन्ट्रोल युनिट का डिस्प्ले पैनल दिखायेगा ताकि वे कन्ट्रोल युनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये मतों को नोट कर सकें ।

35. प्रत्येक गणना अभिकर्ता को प्रारूप 17C का भाग 2 मतगणना के प्रत्येक चरण में दिया जायेगा एवं उसकी पावती ली जायेगी ।

36. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा सम्बंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जावेगी । साथ ही लोकसभा स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सम्मिलित सभी विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु भी प्रत्येक चरण के परिणाम की घोषणा की जावेगी ।

37. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु रैंडम रूप से चयनित 05 मतदान केन्द्रों की VVPAT कागज की पर्चियों का अनिवार्य सत्यापन ईवीएम में दर्ज मतों की गणना के अंतिम चरण के पूरा होने के बाद किया जावेगा। मतदान केन्द्रों का चयन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ड्रॉ के माध्यम से प्रेक्षक, अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा ।

38. रिटर्निंग अधिकारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना पश्चात् प्रेक्षक की अनुमति से परिणामों की विवरणी तैयार करने के उपरांत अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा एवं निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

39. मतगणना दिवस को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं के राउंडवार परिणाम की जानकारी प्रातः 08.00 बजे से भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल https://results.eci.gov.in एवं Voter Helpline App के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।

40. मतगणना के परिणाम को TrendsTV LED Screens के माध्यम शहर के विभिन्न स्थानों पर भी प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी है।

…………………………//……………………

Table -2 (Counting for EVM)

Sr. No.	Name of PC	AS No.	Polling Station	No. of Counting Halls	No. of Counting Tables	Round	No. of AROs for EVM Count
1.	1 - Surguja	4 - Premnagar	275	1	14	20	3
		5 - Bhatgoan	306	1	14	22	3
		6 - Pratappur	296	1	14	22	3
		7 - Ramanujganj	274	2	14	20	3
		8 - Samri	265	2	14	19	3
		9 – Lundra	254	1	14	19	3
		10 - Ambikapur	282	1	14	21	3
		11 - Sitapur	245	1	14	18	3
2.	2 – Raigarh	12 - Jashpur	325	1	14	24	3
		13 - Kunkuri	278	1	14	20	3
		14 - Pathalgoan	275	1	14	20	3
		15 - Lailunga	282	1	14	21	3
		16 - Raigarh	292	1	14	21	3
		17 - Sarangarh	345	1	21	17	4
		18 - Kharsia	289	1	14	21	3
		19 - Dharmjaigarh	281	1	14	21	3
3.	3 - Janjgir-Champa	33 - Akaltara	236	1	14	17	3
		34 - Janjgir-champa	221	1	14	16	3
		35 - Shakti	237	1	14	17	3
		36 - Chandrapur	262	1	14	19	3
		37 - Jaijepur	270	1	14	20	3
		38 - Pamgarh	215	1	14	16	3
		43 - Bilaigarh	376	1	21	18	4
		44 – Kasdol	402	1	21	20	4
4.	4 - Korba	1 - Bharatpur-Sonhat	310	1	21	15	4
		2 - Manendragarh	156	1	14	12	3
		3 - Baikunthpur	228	1	14	17	3
		20 - Rampur	284	1	14	21	3
		21 - Korba	249	1	14	18	3
		22 - Katghora	254	1	14	19	3
		23 - Pali-Tanakhar	300	1	14	22	3
		24 – Marwahi	242	1	14	18	3
5.	5 - Bilaspur	25 - Kota	267	1	14	20	3
		26 - Lormi	264	1	14	19	3
		27 - Mungeli	279	1	14	20	3
		28 - Takhatpur	288	1	14	21	3
		29 - Bilha	327	1	14	24	3
		30 - Bilaspur	238	1	14	17	3
		31 - Beltara	253	1	14	19	3
		32 – Masturi	335	1	14	24	3
6.	6 - Rajnandgoan	71 - Pandariya	393	1	21	19	4
		72 - Kawardha	411	1	21	20	4
		73 - Khairagarh	283	1	14	21	3
		74 - Dongargarh	270	1	14	20	3
		75 - Rajnandgoan	223	1	14	16	3
		76 - Dongargoan	252	1	14	18	3

		77 - Khujji	261	1	14	19	3
		78 - Mohla Manpur	237	1	14	17	3
7.	7 – Durg	62 - Patan	246	1	14	18	3
		63 - Durg Gramin	230	1	14	17	3
		64 - Durg Shahar	224	1	14	16	3
		65 - Bhilai Nagar	169	1	14	13	3
		66 - Vaishali Nagar	256	1	14	19	3
		67 - Ahivara	260	1	14	19	3
		68 - Saja	303	1	14	22	3
		69 - Bemetara	272	1	14	20	3
		70 – Nawagarh	299	1	14	22	3
8.	8 - Raipur	45 - Balodabazar	306	1	14	22	3
		46 - Bhatapara	282	1	14	21	3
		47 - Dharsinwa	253	1	14	19	3
		48 - Raipur Gramin	314	1	14	23	3
		49 - raipur Pashchim	273	1	14	20	3
		50 - Raipur Uttar	203	1	14	15	3
		51 - Raipur Dakshin	263	1	14	19	3
		52 - Arang	250	1	14	18	3
		53 – Abhanpur	241	1	14	18	3
9.	9 - Mahasamund	39 - Saraipali	270	1	14	20	3
		40 - basana	287	1	14	21	3
		41 - Khallari	277	1	14	20	3
		42 - Mahasamund	246	1	14	18	3
		54 - Rajim	274	1	14	20	3
		55 - Bindranavagarh	299	1	14	22	3
		57 - Kurud	237	1	14	17	3
		58 – Dhamtari	257	1	14	19	3
10.	10 - Bastar (ST)	83 - Kondagoan	242	2	14	18	3
		84 - Narayanpur	265	1	14	19	3
		85 - Bastar	212	1	14	16	3
		86 - Jagdalpur	250	1	14	18	3
		87 - Chitrakut	240	1	14	18	3
		88 - Dantewada	273	1	14	20	3
		89 - Bijapur	245	1	14	18	3
		90 – Konta	234	1	14	17	3
11.	11 - Kanker	56 - Sihawa	259	1	14	19	3
		59 - Sanjari Balod	258	1	14	19	3
		60 - Daundi Lohara	270	1	14	20	3
		61 - Gundardehi	286	1	14	21	3
		79-Antagarh	221	1	14	16	3
		80 - Bhanupratappur	266	1	14	19	3
		81 - Kanker	240	1	14	18	3
		82 - Keshkal	290	2	14	21	3
		Total	24229	94	1302	1720	276

Table -3 (Counting for Postal Ballot)

Sr. No.	Name of PC	No. of Postal Ballots Received till 2nd June 2024				No. of Counting Halls	No. of Counting Tables	No. of AROs for Postal Ballot
		Absentee voters	Voter Facilitation Centre	ETPBS	Total			
1.	1 - Surguja	576	1123	827	2526	1	10	10
2.	2 – Raigarh	383	2150	1189	3722	1	10	10
3.	3 - Janjgir-Champa	329	4304	1180	5813	1	12	12
4.	4 - Korba	495	1709	651	2855	1	7	7
5.	5 - Bilaspur	602	2412	654	3668	1	8	8
6.	6 - Rajnandgoan	473	441	697	1611	1	4	4
7.	7 – Durg	333	2354	938	3625	1	10	10
8.	8 - Raipur	628	3920	325	4873	1	10	10
9.	9 - Mahasamund	346	3241	704	4291	2	14	14
10.	10 - Bastar (ST)	224	2254	821	3299	1	9	9
11.	11 - Kanker	604	3028	2888	6520	2	16	16
	Total	4993	26936	10874	42803	13	110	110